न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 149 वर्ष 2024

आवेदक– चैता महतो		क्रेता– सरला देवी	
ग्राम– डुमर कुदर		ग्राम– डुमर कुदर	
थाना– कसमार	जिला–बोकारो	थाना– कसमार	जिला–बोकारो

आदेश की क0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्श्र 02	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख 03

3/11/24

आदेश

यह वाद आवेदक चैता महतो, पिता–स्व0 श्याम महतो, वर्तमान पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
डुमर कुदर	129	21	99	41 डी0	$6\frac{1}{4}$ डी0	दोन एवं वर्त्तमान स्वरूप खेत

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,00,000/–(एक लाख) रूपये में क्रेता–सरला देवी, पति–गोबिन्द महतो, पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 846/रा0, दिनांक 27.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक–592, दिनांक–25.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में कान्हु महतो वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 258, एवं भोलूम 01 में विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध स्वयं का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में कान्हु महतो वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 258, एवं भोलूम 01 में विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य हैं जो अत्यंत पिछड़ी वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः चैता महतो, पिता–स्व0 श्याम महतो, वर्तमान पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
डुमर कुदर 129	21	99	41 डी0	$6\frac{1}{4}$ डी0	भुषण महतो	निज लेख्यकारी	इन्द्री देवी	गैरमजरूआ परती
			कुल	$6\frac{1}{4}$ डी0 (छः पूर्णाक एक बट्टा चार डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 1,00,000/–(एक लाख) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–सरला देवी, पति–गोबिन्द महतो, पता–ग्राम– डुमर कुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

30.12.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

30.12.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.01 23:18:01 -08:00
Location: 192.168.1.34